

01 JUL 2005

1. NRC/NCTE/A-3/UR-52/ 4953  
APN 01778

### ORDER

Devbhumi Institute of Professional Education, C/o Jaycees Public School, Rudrapur, Distt. – U.S.Nagar, Uttaranchal submitted an application to the Northern Regional Committee of National Council for Teacher Education for grant of recognition of B.Ed. course of one Year duration in terms of section 14(1) of NCTE Act, 1993.

2. Now, therefore, in exercise of the powers vested under Section 14(3)(a) of the NCTE Act, 1993, the Regional Committee hereby grants Devbhumi Institute of Professional Education, C/o Jaycees Public School, Rudrapur, Distt. – U.S.Nagar, Uttaranchal for B.Ed. Course with an annual intake of 100 seats (One Hundred), w.e.f. 28<sup>th</sup> June, 2005 subject to compliance of the following conditions before commencement of the academic session.

- Appointment of the faculty members duly qualified and staff as per the norms of NCTE/ State Govt./UGC is to be completed before the commencement of the session.
- The countersigned statement of all faculty members from the Registrar of the concerned University should be submitted before the commencement of the academic session.
- The institution shall adhere to all the other regulations and guidelines as framed by NCTE from time to time.
- The institution shall within one month of the receipt of Recognition order, convert the Endowment Fund account into a Joint Account in the form of FDR for a period of not less than 60 months (Five years) in a Nationalized Bank only to be operated along with an official of the Regional Committee.
- That the Reserve Fund for an amount equal to three months salary of the Teachers & Staff be created within one month from the date of issue of this order and maintained in the form of FDR in favour of the management/institution, for a period of not less than sixty months (Five years) in a Nationalized Bank.
- Non-compliance of the above mentioned conditions shall cause action under section 17 (1) of NCTE Act, 1993.

3. The Recognition is subject to the condition that the affiliating University shall ensure that, among other things, the institution has appointed required number of faculty members (including Principal / Head of Department), as per the norms of the NCTE / UGC / Affiliating University.

4. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC and State Government, etc.

Contd.2...



5. The institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along with a copy of the approval of the concerned University / State Directorate of Education about the appointment of faculty members and the Statement of Annual Accounts duly audited by a Chartered Accountant.

6. If the institution contravenes any of the above conditions, or any of the provisions of the U.P.E. Act, Rules, Regulations and/or order made or issued thereunder, the Regional Committee may withdraw the recognition under the provisions of Section 12 of the NCTE Act, 1993.

7. Please acknowledge receipt of this order together with its enclosures.

By Order

(N.R.Murali)  
Regional Director

The Manager,  
Government of India,  
Department of Publications, (Gazette Section),  
Civil Lines,  
Delhi - 110054

Copy to:

1. The Secretary, Department of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Shastri Bhawan, New Delhi.
2. The Education Secretary, Govt. of Uttaranchal, Secretariat, Dehradun, Uttaranchal.
3. The Director, Directorate of Higher Education, I/C Teacher Education, Govt. of Uttaranchal, Dehradun.
4. The Registrar, Hemwanti Nandan Bahuguna Garhwal University, Sri Nagar, Pauri Garhwal, Uttaranchal - to ensure compliance of the clause 3 of the recognition order. In case the institution is not found to have complied with the said requirements; the concerned University / department shall withhold the affiliation and report the same to NRC, NCTE.
5. The Member Secretary, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002.
6. The Chairman / Secretary, Kumaun University, Nainital, Uttaranchal.
7. The Principal, Devbhumi Institute of Professional Education, C/o Jaycees Public School, Rudrapur, Distt. - U.S.Nagar, Uttaranchal - A copy of procedure for creation of fixed deposit in joint account towards Endowment Fund and Reserve Fund is enclosed.
8. The Under Secretary, Computer Section, National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing - II, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, (Near ITO), New Delhi-110002.
9. Computer cell (NRC).



*(Handwritten Signature)*  
Regional Director



Co-Ed.

संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / १३-५/२०१८

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2018

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मान्यता/केयू/सम्बद्धता/147 दिनांक 13.06.2018 व कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अधीन निम्न संस्थान को बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :-

क्र०सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1	देवभूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, लालपुर, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।	बी०एड० (द्विवर्षीय)	100 सीट	सत्र 2015-17 हेतु अस्थाई सम्बद्धता।

- संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा० कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
- संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
- यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

क्रमशः- 2 पर

*(Signature)*

6. संस्थान द्वारा नियुक्त फ़ैकल्टी स्टाफ़ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
7. संस्थान के कैंम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फ़ैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्षम अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ-साथ शैक्षिक-शिक्षणोत्तर फ़ैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायिक योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेंगे तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को भी उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
10. संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।
11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
12. पाठ्यक्रम हेतु अग्रोत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2697 (1)/जी0एस0/A3-5/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-11 एल0आई0सी0 बिल्डिंग भवानी सिंह मार्ग अम्बेडकर सर्किल, जयपुर राजस्थान-302005।
4. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
5. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)  
कुलाधिपति के उप सचिव।

# Devbhumi Institute of Professional Education

Campus :  
D.I.P.E., Kacchi Khamaria,  
Lalpur, Rudrapur  
Ph. : 9219426006

(Affiliated to Kumaun University, Nainital & Approved by N.C.T.E., Jaipur)

Ref. No. D.I.P.E./04/2007

Date 11.6.07

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक  
N.C.T.E., जयपुर

विषय: पत्र व्यवहार का पता परिवर्तित होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल रेज्यूकेशन विगत सत्र 2005-06 के अन्तर्गत जेसिज पब्लिक स्कूल गंगापुर रोड, रुद्रपुर (उत्तराखण्ड) में संचालित था जो कि किराये का भवन था। वर्तमान सत्र 2006-07 में यह संस्थान आपने नव निर्मित भवन में स्थानान्तरित हो गया है तथा बी० एड० की विधिवत् कक्षाएं नये भवन में संचालित हो रही हैं।

अतः परिषद के संज्ञान में लाने हेतु नये भवन का पत्र-व्यवहार का पता निम्नवत् है -

देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल रेज्यूकेशन  
रुद्रपुर-किच्छा रोड, पो० लालपुर (कच्ची खमरिया)  
जिला उ० सि० नगर (उत्तराखण्ड) पिनको० 263148  
सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

  
(एस० सी० गुणवन्त)

Principal,  
Devbhoomi Institute of Professional  
Education, Rudrapur (U- S. Nagar)